फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री कैलाश | विपक्षी : श्री मोहनलाल

किस्म मुकदमा – 88,188 रा0का0अ0 | पत्रावली संख्या : 155/19

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक :– 21.07.2023	

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस में वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा वादी का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी सं. 1 से 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। प्रकरण में वादी द्वारा घोषणा का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी द्वारा तत्कालीन खातेदार खेमा पिता धन्ना भील से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.10.2008 को वादग्रस्त भूमि का 1/2 हिस्सा पूर्णप्रतिफल अदा कर क्रय करना बताकर वादी द्वारा भूमि अपने नाम दर्ज कराने हेतु वाद प्रस्तुत किया हैं। पत्रावली के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि पूर्व में खेमा पिता धन्ना भील के नाम 1/2 हिस्से से दर्ज थी। तत्कालीन खातेदार खेमा पिता धन्ना भील द्वारा वादग्रस्त आराजीयात 987, 995, 997, 999, 1006 से 1008, 1013, 1022 से 1025, 1028 से 1035, 1038, 1039 में अपना सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा कैलाश पिता तेजा मीणा को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.10.2008 को विक्रय किया, परन्तु विक्रय पत्र का नामान्तरकरण पारित नहीं होने से तत्कालीन खातेदार खेमा पिता धन्ना भील द्वारा वादग्रस्त आराजीयात 329 से 335, 987, 995, 997, 999, 1006 से 1008, 1013, 1039, 1308 से 1311, 1315 से 1326 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.04.2010 से अपना 1/2 हिस्सा मोहनलाल पिता कालु भील व वादग्रस्त आराजीयात 1022 से 1025, 1028 से 1035, 1038 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.08.2009 से कमलाबाई पत्नी अम्बालाल को विक्रय कर दी एवं जिसका नामान्तरकरण पारित होने से उक्त क्रेता द्वारा अन्य को भूमि विक्रय कर दी। उक्त वादग्रस्त आराजीयात पर प्र.स. 93/19 प्रा.पत्र कैलाश बनाम मोहनलाल से आदेशिका दिनांक 13.11.2019 से रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होते हुए भी उक्त आराजीयात का विक्रय, हकत्याग आदि द्वारा हस्तान्तरण किया जा रहा है जो कि वादी के मुकाबले शून्य हैं। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्री कैलाश, पीडब्ल्यू 2 श्री अरूण के शपथ पत्र पेश किये। वादी द्वारा दस्तावेज जमाबन्दी नकल प्रदर्श 1 से 6, विक्रय पत्र दिनांक 22.10.2008 की छायाप्रति प्रदर्श 7ए पेश किये। प्रतिवादीगण द्वारा बाजवूद सूचना न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद का किसी प्रकार से कोई खण्डन नहीं किया, इससे भी वादी के वाद को बल मिलता हैं। वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में न्यायिक नजीर RRT 2021(1) Page 112[illegible] [illegible]। दस्तावेज एवं पत्रावली के अवलोकन से [illegible] क्रेता वादी होना जाहिर होता हैं। वादी द्वारा प्रस्तुत नजीर RRT 2021(1) Page 1129 “Transfer of Property Act, Section 8 In a case in which a person has legally acquired Khatedari rights by virtue of a registered

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.08.29 16:38:58 IST
Reason: SelfAttested

sale deed executed in his favour prior to the execution of a subsequent registered sale deed in favour of another person, then despite the fact that entries in the record of rights have been made in favour of the subsequent purchaser the former purchaser is entitled to the relief of being declared as lawful khatedar of the land-The subsequent purchaser acquires no rights or title in the land-1979 RRD, 1 followed." उक्त प्रकरण पर चस्पा होती हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय के आधार पर अपने नाम खातेदारी हक की घोषणा कराने का अधिकारी हैं। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप वादी का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा विकरणी पटवार हल्का विजनवास की आराजी नम्बर 1039 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 987, 995, 997, 999, 1006 से 1008, 1013 किता 8 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 1022 से 1025, 1028 से 1035, 1038 किता 13 रकबा 9 बीघा 14 बिस्वा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.10.2008 के आधार पर वादी कैलाश को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.08.29 16:38:58 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : श्री श्रीकान्त व्यास, R.A.S.
मुकदमा नम्बर : 155/19 (वाद) GCMS No. : 2019/00342

उनवान

1. श्री कैलाश पिता तेजा मीणा निवासी पिण्डोलिया तह. वल्लभनगर।

.....वादी

बनाम

1. श्री मोहनलाल पिता कालु भील निवासी विकरणी तह. मावली।
2. श्रीमती लक्ष्मीबाई पत्नी नाथु भील निवासी ढीकली तह. गिर्वा।
3. श्री दीपलाल पिता रामा भील निवासी ढीकली तह. गिर्वा।
4. उप पंजीयक अधिकारी मावली, तह. मावली।
5. पटवारी, पटवार हल्का विजनवास तह. मावली।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु श्रीकान्त व्यास, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा विकरणी पटवार हल्का विजनवास की आराजी नम्बर 1039 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 987, 995, 997, 999, 1006 से 1008, 1013 किता 8 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 1022 से 1025, 1028 से 1035, 1038 किता 13 रकबा 9 बीघा 14 बिस्वा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.10.2008 के आधार पर वादी कैलाश को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 21.07.2023 को जारी की गई।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.08.29 16:38:58 IST
Reason: SelfAttested